न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—66/2020/225 (2020/00066)

1. नारायण सिंह पुत्र प्रभूदान जाति चारण, निवासी उदयपुर खुर्द, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रभूदान पुत्र स्व0 भूरदान,
2. बासूदेव पुत्र प्रभूदान,
3. नवीन कुमार पुत्र प्रभूदान,
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभूदान,
   समस्त जाति चारण, निवासी उदयपुर खुर्द, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. करण सिंह पुत्र भंवरलाल, जाति पोरवाल, निवासी धानमण्डी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. अभय कुमार कुमठ पुत्र भंवरलाल ओसवाली, निवासी फतेहगढ़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
7. नरेन्द्र सिंह राजावत पुत्र स्व0 प्रताप सिंह राजावत, जाति राजपूत, निवासी राजपूत मौहल्ला, नया शहर किशनगढ़, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
9. उप पंजीयक किशनगढ़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 10.2.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 218/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 8 व 9.

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 10.2.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/ अपीलाट ने अधी0न्याया0 में वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता प्रभूदान पुत्र स्व0 भूरदान की पैतृक खातेदारी कृषि आराजी खाता संख्या 78 खसरा नंबर 12 रकबा 00—04—00 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 14 रकबा 00—06—00 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 93 रकबा 00—19—07, खसरा नंबर 94 00—02—00 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नंबर 95 रकबा

00–00–10 किस्म गै0मु0 खड्डा, खसरा नंबर 96 रकबा 10–11–13, खसरा नंबर 97 रकबा 7–4–00 व खसरा नंबर 183 रकबा 00–02–00 तालाबी अव्वल एवं खाता संख्या 80 खसरा नंबर 13 रकबा 14–06–00, खाता संख्या 81 खसरा नंबर 15 रकबा 14–12–00 तथा खाता संख्या 82 खसरा नंबर 17 रकबा 1–8–00 किस्म गै0मु0 नाला कुलं रकबा 49–15–00 बीघा भूमि ग्राम उदयपुर खुद में स्थित है । उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के पिता अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 ने एक पंजीकृत पारिवारिक समझौता दिनांक 12.8.1996 को निष्पादित कर अपने खातेदारी की भूमि का अपने चारों पुत्रों में विभाजन किया जिसके अनुसार प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4 जो अप्रार्थी संख्या 1 के दोनों बड़े पुत्र है के हिस्से में खसरा नंबर 93, 94, 95, 96 व 97 कुल रकबा 19–17–00 बीघा भूमि जो कटारिया वाला बेरा की जाव की भूमि है दी गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जो अप्रार्थी संख्या 1 के दोनों छोटे पुत्र है को खसरा नंबर 12, 13, 14, 15 व 17 कुल रकबा 30–13–00 बीघा भूमि दी गई जिसमें से 10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की छोटी पुत्री हेमलता की शादी के खर्चे के लिए रखी गई थी । उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय कर दी जिनका हिस्सा जमाबंदी में इंद्राज हो चुका है । अप्रार्थी संख्या 7 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 22.6.2011 से प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4 राजेन्द्रसिंह के हिस्से की भूमि खाता संख्या 93 व 96 में से भूमि विक्रय कर दी गई जो कि पारिवारिक समझौता दिनांक 12.8.1996 के विपरीत है किन्तु राजस्व अभिलेखों में अभी तक नामांतकरण नहीं हुआ है । अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वंय के तथा अपनी धर्मपत्नि के खर्चे हेतु रखी गई भूमि 5/12 हिस्से को बिना किसी आवश्यकता के बैचान कर दिया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी विधिक आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी तथा स्वंय के आजीवन खर्चे हेतु रखी गई भूमि को भी जो भूमि तालाब हनुमान सागर के पेटे में थी उसका विक्रय कर दिया तथा अब प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4 के हिस्से में पारिवारिक समझौता दिनांक 12.8.1996 को दी गई भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है । इस आशय की धमकी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 23.7.2013 को गांव में दी गई । यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 के हिस्से में पंजीकृत पारिवारिक समझौते से प्राप्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि का किसी प्रकार से बैचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि द्वारा हस्तातंरण नहं करे तथा उनके द्वारा हस्तातंरण विलेख पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 9 के समक्ष पेश किया जावे तो उसका पंजीयन नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 8 वर्तमान राजस्व रिकार्ड मं किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 10.2.2020 को पारित कर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर विद्वान वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर दौराने वाद विवादित आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया था क्योंकि विवादित आराजी वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थी के पिता अप्रार्थी

संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा कुछ आराजी का उन्होंने बैचान भी कर दिया था । इसलिये वाद के निर्णय तक विवादित आराजी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित था । अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 जो कि एक ही परिवार के सदस्य है तथा उनका संबंध पिता एवं पुत्र का है तथा विवादित आराजियात पैतृक सम्पति है। इसलिये पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद होने पर रहन, बय, मुन्तकिल जैसी अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित था जिससे विवादों की बाहुल्यता ना बढ़ें एवं आराजी वाद के निर्णय तक सुरक्षित रहे । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.8.1996 को एक पारिवारिक समझौता निष्पादित किया गया था जिसमें खसरा नंबर 93, 94, 95, 96 व 97 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 जो उनके दोनों बड़े पुत्र है के हिस्से में प्रदान की गई थी तथा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को अन्य विवादित आराजियात पारिवारिक समझौता अनुसार उनके हिस्से में दी गई थी । इसलिये विवादित आराजी जो अपीलांट के हिस्से मे रखी गई उसको बैचान करने पर आमादा होने पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 का यह कहना कि उसके पश्चात् एक पारिवारिक समझौता दिनांक 3.6.2011 को निष्पादित कर दिया है इसलिये पूर्व पारिवारिक समझौता समाप्त हो चुका है । अधी0न्याया0 का यह मानना कि उक्त संदर्भ में मूल वाद के निर्णय में विचार किया जावेगा तो फिर अधी0न्याया0 को विवादित आराजी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इसके बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 के हिस्से में जो आराजी रखी गई है वह वैसे भी पैतृक सम्पति है जो प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है तथा पैतृक सम्पति को वैसे भी रहन, बय, मुन्तकिल करने का हक व अधिकार नहीं है लेकिन उनका यह मानना कि पैतृक भूमि है अथवा नहीं यह दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किये जाने पर विचार किया जावेगा जबकि उनके समक्ष उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी पैतृक साबित है । इसके बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी जो पारिवारिक समझौता दिनांक 12.8.1996 द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2, लगायत 4 को दी गई थी तथा विवादित आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसलिये वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2002 पेज 744 एवं आर0बी0जे0 2005 पेज 405 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 व 9 ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पैराकार सरकार फोर्मल पक्षकार है । पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात को पैतृक सम्पति होने का कथन कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनतोष चाहा है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गत खसरा नंबर 234, 233, 232, 227, 234, 228, 229, 230, 231,232, 234 हेतु बेवा भूरदान चारण सा0देह के नाम दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत् खसरा नंबर 234 से वर्तमान खसरा नंबर 93, 233 से 94, 232 से 95, 227 व 234 से 96, 228, 229, 230, 231 से 97 एवं गत खसरा नंबर 259/2 से वर्तमान खसरा नंबर 183 बनना पाया जाता है । जमाबंदी संवत् 2069 से 72 के अनुसार खसरा नंबर 12, 14, 93, 94, 95, 96, 97, 183 प्रभूदान पुत्र भूरदान कौम बारेठ सा0देह खातेदार दर्ज है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से विवादित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी सम्पति होना प्रमाणित होता है । पुश्तैनी सम्पति में अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें यह मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित किये जावेगें किन्तु मूल वाद के निस्तारण से पूर्व यदि पक्षकारान की पुश्तैनी सम्पति का अन्यंत्र हस्तातंरण, बैचान इत्यादि किया जाता है तो अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होगें तथा पक्षकारों के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना है। यद्यपि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 प्रभूदान के नाम खातेदारी से दर्ज है किन्तु आर0बी0जे0 2005 पेज 405 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "RajasthanTenancy Act, 1955 Section 212- Son has a right by birth in ancestral land during life time of father-Temporary injunction granted against the father that he should not transfer the disputed land during the pendency of suit " उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि पुश्तैनी होने से वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट के हक व हिस्से तक मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अपीलांट को उसके हक व हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करने बाबत् अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.2.2020 निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट के हक व हिस्से की आराजियात की ताफैसला मूल वाद मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अपीलांट को बेदखल नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर